23

II/निग०/सतना/2018/0350

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला-रीवा (म०प्र०)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. 2रु. 2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

30/-

मोतीलाल मिश्रा पिता स्व0 शारदा प्रसाद मिश्रा उम्र लगभग 80 वर्ष, पेशा-खेती, निवासी ग्राम-बदखर, तहसील-रघुराज नगर, जिला-सतना (म0प्र0)

.............**निगराकार/अपीलाण्ट**

बनाम

1. मेसर्स बिडला कार्पो0 लिमि0 (सीमेंट डिवीजन) सतना सीमेंन्ट वर्क्स सतना द्वारा आर0डी0एस0 यादव वाईस प्रसिडेन्ट (पी0 एण्ड ऐ0) बिरला कालोनी सतना, तहसील-रघुराज नगर, जिला-सतना (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0

अधि० श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा पेश 11-1-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

........**गैरनिगराकारगण**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त (श्री भगत सिंह कुलेश) रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक-817/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2017

अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता अधिनियम 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य निम्नलिखित है :-

1. यह कि मौजा बदखर कोठार, तहसील-रघुराज नगर, जिला-सतना म0प्र0 स्थित खसरा क्रमांक-15 रकवा 0.

पुष्पेन्द्र सिंह वकील उ०

मोतीलाल मिश्रा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/0350

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीचा प्रकरण क्रमांक 817/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-12-17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आराजी न. 15 रकबा 0.99 एवं 16 रकबा 3.01 एकड वर्ष 2009 के समय राजस्व अभिलेख में खसरा के कॉलम न. 3 में म0प्र0 शासन एवं कैफियत कॉलम न. 12 में म0प्र0 शासन बिड़ला जूट मैन्यू फैक्ट्री दर्ज है इससे यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी उत्तरवादी को लीज में प्राप्त हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिविल न्यायालय के द्वारा आवेदक ने सहायता चाही थी। वह निरस्त हो गयी थी। आवेदक की अपील निरस्त कर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/12/14 के द्वारा आदेश विधि सम्मत माना है	

एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश उचित होने से अपील को निरस्त किया गया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा उचित मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 817/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-12-17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य